



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4001]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 12, 2019/अग्रहायण 21, 1941

No- 4001]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 2019/AGRAHAYANA 21, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4452(अ).—यतः, मै. इन्टिग्रेटेड चेन्नई बिजनेस पार्क (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य के, तिरुवल्लुर जिले में, पोनेरी तालुक के वल्लुर एवं ईडयानचावडी गांव में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उनको उपर्युक्त मुक्त व्यापार क्षेत्र के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (10) के अंतर्गत दिनांक 19 सितम्बर, 2019 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त स्थान के 50.491 हेक्टेयर के नीचे दी गई तालिका में दिए गए सर्वेक्षण संख्याओं के क्षेत्र को अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

तालिका

| क्रम सं. | गांव का नाम | सर्वेक्षण सं. | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) |
|----------|--------------------|---------------|--------------------------|
| 1. | 148 ईडयानचावडी - I | 66/4बी | 0.688 |
| 2. | | 68/2बी | 0.314 |
| 3. | | 69/3बी | 0.283 |
| 4. | | 69/2 | 0.295 |
| 5. | | 71/8ए | 0.154 |
| 6. | | 71/9ए | 0.401 |
| 7. | | 71/9बी | 0.299 |
| 8. | | 72/4 | 1.093 |
| 9. | | 72/2 | 0.198 |
| 10. | | 72/3सी | 0.15 |

| | | | |
|-----|-----------------|----------|-------|
| 11. | | 72/3डी | 0.15 |
| 12. | | 72/3बी | 0.129 |
| 13. | | 73/1 | 0.174 |
| 14. | | 73/4 | 0.077 |
| 15. | | 73/5 | 0.186 |
| 16. | | 73/7 | 0.105 |
| 17. | | 73/3 | 0.182 |
| 18. | | 73/6 | 0.291 |
| 19. | | 73/8 | 0.267 |
| 20. | | 74/3 | 0.247 |
| 21. | | 74/6ए | 1.056 |
| 22. | | 74/7 | 0.291 |
| 23. | | 74/6बी | 0.231 |
| 24. | | 74/1 | 0.154 |
| 25. | | 74/2 | 0.283 |
| 26. | | 74/4 | 0.109 |
| 27. | | 75/1 | 0.384 |
| 28. | | 75/2 | 0.749 |
| 29. | | 76/1 | 0.567 |
| 30. | | 77/1ए | 0.304 |
| 31. | | 78/1ए1ए | 0.243 |
| 32. | | 78/1ए1सी | 0.016 |
| 33. | | 78/1ए1डी | 0.016 |
| 34. | | 78/1ए2 | 0.599 |
| 35. | | 79/1 | 1.198 |
| 36. | 144 वल्लुर - IV | 1202/2 | 0.356 |
| 37. | | 1203/1 | 0.417 |
| 38. | | 1204/1ए | 0.219 |
| 39. | | 1204/2बी | 0.073 |
| 40. | | 1214/2बी | 0.178 |
| 41. | | 1215 | 0.057 |
| 42. | | 1216/2 | 0.081 |
| 43. | | 1217 | 0.105 |
| 44. | | 1218/1बी | 0.057 |
| 45. | | 1223 | 0.32 |
| 46. | | 1224/1 | 0.121 |
| 47. | | 1224/2 | 0.02 |
| 48. | | 1224/3 | 0.02 |
| 49. | | 1224/4 | 0.02 |
| 50. | | 1224/5 | 0.02 |
| 51. | | 1224/6 | 0.02 |
| 52. | | 1224/7 | 0.02 |
| 53. | | 1224/8 | 0.02 |
| 54. | | 1224/9 | 0.02 |
| 55. | | 1224/10 | 0.024 |
| 56. | | 1224/11 | 0.032 |

| | | | |
|------|--|------------|-------|
| 57. | | 1224/12 | 0.02 |
| 58. | | 1224/13 | 0.02 |
| 59. | | 1224/14 | 0.02 |
| 60. | | 1225/1 | 0.465 |
| 61. | | 1226 | 0.235 |
| 62. | | 1229/2 | 0.049 |
| 63. | | 1233 | 1.036 |
| 64. | | 1235 | 0.486 |
| 65. | | 1236 | 0.061 |
| 66. | | 1237 | 0.368 |
| 67. | | 1238 | 1.72 |
| 68. | | 1239 | 0.393 |
| 69. | | 1240/1ए | 0.429 |
| 70. | | 1240/1बी | 0.202 |
| 71. | | 1240/2 | 0.506 |
| 72. | | 1241/1 | 0.393 |
| 73. | | 1241/2 | 0.19 |
| 74. | | 1242 | 1.505 |
| 75. | | 1243 | 0.295 |
| 76. | | 1244/1 | 0.571 |
| 77. | | 1244/2बी 1 | 0.405 |
| 78. | | 1244/2ए | 0.919 |
| 79. | | 1244/2बी2 | 0.045 |
| 80. | | 1245/1 | 1.505 |
| 81. | | 1245/2 | 0.121 |
| 82. | | 1246/1 | 0.785 |
| 83. | | 1246/2 | 0.417 |
| 84. | | 1247/1 | 0.376 |
| 85. | | 1247/2 | 0.295 |
| 86. | | 1248/4ए | 0.202 |
| 87. | | 1248/4बी | 0.202 |
| 88. | | 1248/4सी | 0.202 |
| 89. | | 1248/1 | 0.405 |
| 90. | | 1248/2 | 0.202 |
| 91. | | 1248/3 | 0.283 |
| 92. | | 1249/1ए | 0.89 |
| 93. | | 1249/2ए | 0.198 |
| 94. | | 1249/2बी | 0.085 |
| 95. | | 1249/1बी | 0.89 |
| 96. | | 1250/1 | 0.206 |
| 97. | | 1250/2 | 0.899 |
| 98. | | 1251/2 | 0.3 |
| 99. | | 1251/1 | 0.3 |
| 100. | | 1254/1 | 1.008 |
| 101. | | 1254/2 | 0.684 |
| 102. | | 1255 | 0.186 |

| | | | |
|------------|--|-----------|---------------|
| 103. | | 1255 | 0.186 |
| 104. | | 1256/1 | 0.433 |
| 105. | | 1256/2 | 0.437 |
| 106. | | 1257/1 | 0.32 |
| 107. | | 1257/2 | 0.3 |
| 108. | | 1258 | 0.3 |
| 109. | | 1259/1 | 0.389 |
| 110. | | 1259/2ए | 0.587 |
| 111. | | 1259/2बी1 | 0.611 |
| 112. | | 1259/2बी2 | 0.024 |
| 113. | | 1260 | 1.101 |
| 114. | | 1261/1 | 0.567 |
| 115. | | 1261/2 | 0.405 |
| 116. | | 1262/1 | 0.21 |
| 117. | | 1262/2 | 0.206 |
| 118. | | 1262/3 | 0.19 |
| 119. | | 1262/4 | 0.198 |
| 120. | | 1262/5 | 0.255 |
| 121. | | 1263/1 | 0.583 |
| 122. | | 1264 | 0.627 |
| 123. | | 1267/2 | 0.34 |
| 124. | | 1268/1सी | 0.421 |
| 125. | | 1268/1बी | 0.558 |
| 126. | | 1268/1डी | 0.121 |
| 127. | | 1278 | 0.162 |
| 128. | | 1279 | 1.303 |
| 129. | | 1280 | 0.206 |
| 130. | | 1281 | 0.125 |
| 131. | | 1282 | 1.477 |
| 132. | | 1283 | 0.401 |
| 133. | | 1287/2 | 0.28 |
| 134. | | 1287/3 | 0.26 |
| 135. | | 1288 | 0.935 |
| 136. | | 1289/2 | 0.916 |
| कुल | | | 50.491 |

और अतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात्:-

| | | |
|----|--|---------------|
| 1. | विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त | अध्यक्ष, पदेन |
| 2. | निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अपर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 3. | विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक | सदस्य, पदेन |
| 4. | विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |

| | | |
|----|---|------------------|
| 5. | विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 6. | निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार | सदस्य, पदेन |
| 7. | राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा | सदस्य, पदेन |
| 8. | जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि | विशेष, आमंत्रिती |

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 09 दिसंबर, 2019 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ-1/7/2019-एसईजेड]

बी. बी. स्वेन, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2019

S.O. 4452(E).—WHEREAS, M/s. Integrated Chennai Business Park (India) Private Limited has proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a Free Trade Warehousing Zone (FTWZ) at Vallur & Edyanchavadi Villages in Ponneri Taluk, Thiruvallur District, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above Free Trade Warehousing Zone on 19th September, 2019;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the **50.491 hectares** area at above location with survey numbers given in the table below as a Special Economic Zone, namely:

TABLE

| Sl. No. | Village Name | Survey No. | Area (in hectares) |
|---------|-----------------------|------------|--------------------|
| 1. | 148 Edayanchavadi – I | 66/4B | 0.688 |
| 2. | | 68/2B | 0.314 |
| 3. | | 69/3B | 0.283 |
| 4. | | 69/2 | 0.295 |
| 5. | | 71/8A | 0.154 |
| 6. | | 71/9A | 0.401 |
| 7. | | 71/9B | 0.299 |
| 8. | | 72/4 | 1.093 |
| 9. | | 72/2 | 0.198 |
| 10. | | 72/3C | 0.15 |
| 11. | | 72/3D | 0.15 |
| 12. | | 72/3B | 0.129 |
| 13. | | 73/1 | 0.174 |
| 14. | | 73/4 | 0.077 |
| 15. | | 73/5 | 0.186 |
| 16. | | 73/7 | 0.105 |
| 17. | | 73/3 | 0.182 |
| 18. | | 73/6 | 0.291 |
| 19. | | 73/8 | 0.267 |
| 20. | | 74/3 | 0.247 |

| | | | |
|-----|-----------------|----------|-------|
| 21. | | 74/6A | 1.056 |
| 22. | | 74/7 | 0.291 |
| 23. | | 74/6B | 0.231 |
| 24. | | 74/1 | 0.154 |
| 25. | | 74/2 | 0.283 |
| 26. | | 74/4 | 0.109 |
| 27. | | 75/1 | 0.384 |
| 28. | | 75/2 | 0.749 |
| 29. | | 76/1 | 0.567 |
| 30. | | 77/1A | 0.304 |
| 31. | | 78/1A1A | 0.243 |
| 32. | | 78/1A1C | 0.016 |
| 33. | | 78/1A1D | 0.016 |
| 34. | | 78/1A2 | 0.599 |
| 35. | | 79/1 | 1.198 |
| 36. | 144 Vallur - IV | 1202/2 | 0.356 |
| 37. | | 1203/1 | 0.417 |
| 38. | | 1204/1A | 0.219 |
| 39. | | 1204/2B | 0.073 |
| 40. | | 1214/2B | 0.178 |
| 41. | | 1215 | 0.057 |
| 42. | | 1216/2 | 0.081 |
| 43. | | 1217 | 0.105 |
| 44. | | 1218/1B | 0.057 |
| 45. | | 1223 | 0.32 |
| 46. | | 1224/1 | 0.121 |
| 47. | | 1224/2 | 0.02 |
| 48. | | 1224/3 | 0.02 |
| 49. | | 1224/4 | 0.02 |
| 50. | | 1224/5 | 0.02 |
| 51. | | 1224/6 | 0.02 |
| 52. | | 1224/7 | 0.02 |
| 53. | | 1224/8 | 0.02 |
| 54. | | 1224/9 | 0.02 |
| 55. | | 1224/10 | 0.024 |
| 56. | | 1224/11 | 0.032 |
| 57. | | 1224/12 | 0.02 |
| 58. | | 1224/13 | 0.02 |
| 59. | | 1224/14 | 0.02 |
| 60. | | 1225/1 | 0.465 |
| 61. | | 1226 | 0.235 |
| 62. | | 1229/2 | 0.049 |
| 63. | | 1233 | 1.036 |
| 64. | | 1235 | 0.486 |
| 65. | | 1236 | 0.061 |
| 66. | | 1237 | 0.368 |
| 67. | | 1238 | 1.72 |
| 68. | | 1239 | 0.393 |
| 69. | | 1240/1A | 0.429 |
| 70. | | 1240/1B | 0.202 |
| 71. | | 1240/2 | 0.506 |
| 72. | | 1241/1 | 0.393 |
| 73. | | 1241/2 | 0.19 |
| 74. | | 1242 | 1.505 |
| 75. | | 1243 | 0.295 |
| 76. | | 1244/1 | 0.571 |
| 77. | | 1244/2B1 | 0.405 |
| 78. | | 1244/2A | 0.919 |
| 79. | | 1244/2B2 | 0.045 |

| | | | |
|--------------|--|----------|---------------|
| 80. | | 1245/1 | 1.505 |
| 81. | | 1245/2 | 0.121 |
| 82. | | 1246/1 | 0.785 |
| 83. | | 1246/2 | 0.417 |
| 84. | | 1247/1 | 0.376 |
| 85. | | 1247/2 | 0.295 |
| 86. | | 1248/4A | 0.202 |
| 87. | | 1248/4B | 0.202 |
| 88. | | 1248/4C | 0.202 |
| 89. | | 1248/1 | 0.405 |
| 90. | | 1248/2 | 0.202 |
| 91. | | 1248/3 | 0.283 |
| 92. | | 1249/1A | 0.89 |
| 93. | | 1249/2A | 0.198 |
| 94. | | 1249/2B | 0.085 |
| 95. | | 1249/1B | 0.89 |
| 96. | | 1250/1 | 0.206 |
| 97. | | 1250/2 | 0.899 |
| 98. | | 1251/2 | 0.3 |
| 99. | | 1251/1 | 0.3 |
| 100. | | 1254/1 | 1.008 |
| 101. | | 1254/2 | 0.684 |
| 102. | | 1255 | 0.186 |
| 103. | | 1255 | 0.186 |
| 104. | | 1256/1 | 0.433 |
| 105. | | 1256/2 | 0.437 |
| 106. | | 1257/1 | 0.32 |
| 107. | | 1257/2 | 0.3 |
| 108. | | 1258 | 0.3 |
| 109. | | 1259/1 | 0.389 |
| 110. | | 1259/2A | 0.587 |
| 111. | | 1259/2B1 | 0.611 |
| 112. | | 1259/2B2 | 0.024 |
| 113. | | 1260 | 1.101 |
| 114. | | 1261/1 | 0.567 |
| 115. | | 1261/2 | 0.405 |
| 116. | | 1262/1 | 0.21 |
| 117. | | 1262/2 | 0.206 |
| 118. | | 1262/3 | 0.19 |
| 119. | | 1262/4 | 0.198 |
| 120. | | 1262/5 | 0.255 |
| 121. | | 1263/1 | 0.583 |
| 122. | | 1264 | 0.627 |
| 123. | | 1267/2 | 0.34 |
| 124. | | 1268/1C | 0.421 |
| 125. | | 1268/1B | 0.558 |
| 126. | | 1268/1D | 0.121 |
| 127. | | 1278 | 0.162 |
| 128. | | 1279 | 1.303 |
| 129. | | 1280 | 0.206 |
| 130. | | 1281 | 0.125 |
| 131. | | 1282 | 1.477 |
| 132. | | 1283 | 0.401 |
| 133. | | 1287/2 | 0.28 |
| 134. | | 1287/3 | 0.26 |
| 135. | | 1288 | 0.935 |
| 136. | | 1289/2 | 0.916 |
| Total | | | 50.491 |

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:-

| | | |
|----|--|---------------------------------|
| 1. | Development Commissioner of the Special Economic Zone | Chairperson <i>ex officio</i> ; |
| 2. | Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India | Member <i>ex officio</i> ; |
| 3. | Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone | Member <i>ex officio</i> ; |
| 4. | Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner | Member <i>ex officio</i> ; |
| 5. | Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner | Member <i>ex officio</i> ; |
| 6. | Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India | Member <i>ex officio</i> ; |
| 7. | Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government | Member <i>ex officio</i> ; |
| 8. | Representative of the Developer of the zone | Special invitee |

AND, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 09th day of December, 2019 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F.1/7/2019-SEZ]

B.B. SWAIN, Addl. Secy.